न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 29/22

GCMS NO 2022/45

हरिप्रसाद पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जयलालपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
2. शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा शिशोलाव तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 4/13 निर्णय व डिक्री दिनांक 5.4.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री भोलाशंकर शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 पैरोकार सरकार

दिनांक 30.6.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 5.4.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट द्वारा दावा घोषणा एवं शुद्विकरण राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा ट्रेस इस आशय का पेश किया कि वादी के ताऊजी मूलचंद पुत्र जगन्नाथ को दिनांक 7.8.66 को 8 बीघा भूमि खसरा न0 397 मे आवंटित हुई थी उक्त भूमि का जमाबंदी मे ख0न0 397/1/8 के रूप मे खातेदारी अंकित हुई। जिस पर मूलचंद का व उनकी मृत्यु पर निरंतर उनकी पत्नि श्रीमती मन्नी देवी एवं वादी का कब्जा चला आ रहा है। मूलचंद की मृत्यु दिनांक 10.5.10 को होने पर विरासत का नामा0 संख्या 38 दिनांक 28.12.10 वादी एवं श्रीमती मन्नी देवी के नाम खुला। मन्नी देवी का भी इंतकाल होने पर दिनांक 5.8.11 से आराजीयात मुतनाजा का वादी के नाम खातेदारी का नामा0 खोल दिया गया। बाद सेटलमेंट उक्त आराजी का नवीन खसरा न0 805 रकबा 0.41 है0, 806 रकबा 0.06 है0, 807 रकबा 0.36 है0, 848 रकबा 1.19 है0 कायम किये गये। वादी का कब्जा न होते हुए भी सेटलमेंट विभाग ने उक्त आराजी वादी की खातेदारी में [illegible] दी। जबकि पुराना ख0न0 397/1/8 एक ही जगह एक ही चक के रूप में था। इसके [illegible] खसरा न0 805,806,807 कुल रकबा 0.83 है0 की खातेदारी वादी के नाम है उसे हजफ कर चारागाह दर्ज की जाकर इसकी एवज मे ख0न0 856 रकबा 0.35 है0, 855 रकबा 0.48 है0 चारागाह से हजफ की जाकर वादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खातेदारी मे दर्ज की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/अपीलाट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र खसरा न0 855 मे से रकबा 0.36 है0 व ख0न0 856 मे से रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.58 है0 का वादी को खातेदार घोषित किया गया। वादी/अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साबिक के मुकाबले भूमि का रकबा कम दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से लायके मन्सूखी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री देने से पूर्व पत्रावली का विधिपूर्वक अवलोकन नही किया। निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दो बार मौका रिपोर्ट तलब की गई प्रथम मौका रिपोर्ट मे यह स्पष्ट अंकित किया कि ख0न0 805 रकबा 0.41 है0, 806 रकबा 0.06 है0, 807 रकबा 0.36 है0 किता 3 कुल रकवा 0.83 है0 पर मौके पर अपीलांट वादी का कब्जा नही है, बल्कि अन्य लोगो का कब्जा है। अपीलांट वादी का कब्जा ख0न0 848 रकबा 1.19 है0, सम्पूर्ण पर तथा खसरा न0 856 रकबा 0.35 है0 चारागाह एवं 855 5.45 है0 चारागाह मे से लगभग 0.20 है0 पर कब्जा है। तत्पश्चात दोबारा मौका रिपोर्ट तलब किये जाने पर दिनांक 22.5.18 को प्राप्त रिपोर्ट मे खसरा न0 848 रकवा 1.19 है0, 855 रकबा 0.61 है0 व 856 रकबा 0.22 है0 कुल 2.14 है0 एक ही जगह पर वादी अपीलांट का कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पेज न0 3 पर यह भी लिखा है कि उक्तानुसार हमारे विनम्र अभिमत मे वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधि सम्मत है। इसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने ख0न0 855 रकबा 0.61 है0 के स्थान पर रकवा 0.36 है0 अपीलांट को दिया है। जो गलत है। जब वाद पत्र सम्पूर्ण स्वीकार किया है तो खसरा न0 855 का रकवा 0.61 है0 के स्थान पर रकबा 0.36 है0 ही अपीलांट को क्यो दिया गया है। सम्पूर्ण निर्णय मे दर्ज नही है। अपीलांट को 8 बीघा भूमि पूरी नही मिल रही है। जो कानूनन मिलना आवश्यक है। लिहाजा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री इस हद तक निरस्त किये जाने योग्य है कि खसरा न0 855 रकबा 0.61 है0 के स्थान पर 0.36 है0 वादी के नाम दर्ज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण दस्तावेज व मौका रिपोर्ट थी जिसके खिलाफ कोई साक्ष्य या दस्तावेजी पत्रावली पर नही होने पर भी मनमर्जी से खसरा न0 855 मे से रकवा 0.61 है0 के स्थान पर 0.36 है0 अपीलांट को खातेदार घोषित करने के आदेश दिये है जो गलत है। जबकि सही तथ्य यह है कि ख0न0 805 का रकबा 0.41 है0, 806 का रकबा 0.06 है0, 807 का रकवा 0.36 है0 पर वादी अपीलांट का कब्जा नही है। इसलिए उक्त समस्त रकबा अपीलांट की खातेदारी मे से कम किया जाकर ख0न0 855 रकवा 0.61 है0, 856 रकबा 0.22 है0, 848 रकबा 1.19 है0 कुल रकबा 2.02 है0 भूमि जो वादी के एक ही जगह कब्जे मे है का वादी को खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:41:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

घोषित किया जाना चाहिए था। तदनुसार वादी रेवेन्यू रिकार्ड मे दुरूस्त कराने का अधिकारी था। ऐसा नही करके अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाते हुए खसरा न0 855 रकबा 0.36 है0 के स्थान पर 0.61 है0 भूमि वाके ग्राम जयलालपुरा तहसील बौली का वादी/अपीलांट को खातेदार घोषित किया जाकर वादी अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे तथा ख0न0 805,806,807 रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम जयलालपुरा तहसील बौली वादी अपीलांट की खातेदारी से हजफ फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि सेटलमेंट द्वारा विधि की प्रकिया के तहत ही वादी का भूमि खसरा न0 805,806 व 807 पर कब्जा होने के कारण ही उक्त भूमि का खातेदार वादी/अपीलांट को घोषित किया है। यदि अपीलांट को सेटलमेंट द्वारा की गई कार्यवाही गलत प्रतीत हुई होती तो वादी को तत्समय ही सेटलमेंट के दौरान ही चाराजोही करनी चाहिए थी। जो उनके द्वारा नही की गई है। ना ही सेटलमेंट विभाग को पक्षकार बनाया है। भूमि खसरा न0 856 रकबा 0.35 है0 एवं खसरा न0 855 रकबा 5.45 है0 गैर मुमकिन चारागाह मे से लगभग 0.20 है0 भूमि पर वादी का कब्जा माना है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी द्वारा गलत रूप से सेटलमेट द्वारा भूमि खसरा न0 805,806 व 807 की खातेदारी वादी/अपीलांट के नाम से दर्ज किये जाने एवं वादी/अपीलांट की कब्जे एवं खातेदारी की भूमि खसरा न0 856 रकबा 0.35 है0 , 855 रकबा 0.48 है0 कुल रकबा 0.83 है0 को वादी/अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने के कारण दावा घोषणा एवं शुद्विकरण राजस्व रिकार्ड करने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात की मौके की रिपोर्ट तलब की गई है जिसमे स्पष्ट रूप से भूमि खसरा न0 856 रकबा 0.35 है0 एवं 855 के रकबा 0.48 है0 पर वादी/अपीलांट का कब्जा माना है। तथा खसरा न0 805,806,807 पर कब्जा नही माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद पत्र तो स्वीकार किया है परन्तु भूमि खसरा न0 855 मे से रकबा 0.36 है0 व खसरा न0 856 मे से रकबा 0.22 है0 कुल रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम जयलालपुरा का वादी/अपीलांट को खातेदार घोषित किया है जो कि वादी/अपीलाट के साबिक रकबे की तुलना मे कम है। जब वादी द्वारा कुल रकबा 0.83 है0 की खातेदारी की घोषणा चाही गई है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साबिक के मुकाबले 0.52 है0 भूमि की खातेदारी वादी/अपीलांट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। जो साविक रकबे की तुलना मे कम है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद पत्र डिक्री किया गया है परन्तु वादी/अपीलांट द्वारा चाही गई घोषणा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण रूप से प्रदान नही कर केवल मात्र आंशिक रूप से वादी के पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

मे घोषणा की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है एवं अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के मु0नं0 4/13 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.4.2022 को निरस्त किया जाता है। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा न0 805,806,807 कुल रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम जयलालपुरा तहसील बौली वादी की खातेदारी से हजफ किया जाकर चारागाह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादी/अपीलांट को आराजी खसरा न0 856 रकबा 0.35 है0 तथा 855 की 0.48 है0 भूमि वाद पत्र मे दर्ज मार्क ए बी सी डी के अनुसार जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे चारागाह दर्ज है उसे चारागाह से हजफ की जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.6.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:11 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बसीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix G)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर

बइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस.

हरिप्रसाद पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जयलालपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
2. शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा शिशोलाव तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

अपील संख्या 29/22 विरूद्व निर्णय व डिकी न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली निर्णय व डिकी दिनांक 5.4.22 दावा घोषणा एवं शुद्वीकरण राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा ट्रेस। यह अपील संख्या 29/22 व तारीख 30.6.25 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री भोलाशंकर शर्मा अभिभाषक मिन जानिब अपीलांट तथा पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पो0 की उपस्थिति समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त किया जाता है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। आराजी खसरा न0 805,806,807 कुल रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम जयलालपुरा तहसील बौली वादी की खातेदारी से हजफ किया जाकर चारागाह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादी/अपीलांट को आराजी खसरा न0 856 रकबा 0.35 है0 तथा 855 की 0.48 है0 भूमि वाद पत्र मे दर्ज मार्क ए बी सी डी के अनुसार जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे चारागाह दर्ज है उसे चारागाह से हजफ की जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 30.6.25 को जारी किया।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पो0	रूपये	पैस
स्टाम्प अपील	---	---	स्टाम्प वकालतनामा	---	---
स्टाम्प वकालतनामा	---	[illegible]	स्टाम्प अर्जी	---	---
इजराय हुक्मनामा	---	---	इजराय हुक्मनामा	---	---
वकील फीस बाबत	---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:11 IST
Reason: SelfAttested